राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।

क्रमांक प.8.(ग)(21)नियम / डीएलबी / 14 / 16133 दिनांक 24/07/18

अधिसूचना

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 (2003 का अधिनियम संख्यांक 1) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना कमांक: प.8.(ग)(21) नियम / डीएलबी / 14 / 5962 दिनांक 11.05.2015 द्वारा गठित अपील किराया अधिकरण, बाड़मेर के क्षेत्राधिकार में आंशिक संशोधन करते हुए जिला न्यायालय, बालोतरा को नगरपालिका क्षेत्र,बालोतरा के लिये अपील किराया अधिकरण नियुक्त कर क्षेत्राधिकार में निम्नानुसार संशोधन करती है:—

क्र.सं.	वर्तमान न्यायालय का नाम	अपील किराया अधिकरण का नाम	क्षेत्राधिकार
1.	अपर जिला न्यायालय, बाड़मेर	अपील किराया अधिकरण, बाड़मेर	जिला मुख्यालय नगरपालिका क्षेत्र, बाड़मेर
2.	जिला न्यायालय, बालोतरा	अपील किराया अधिकरण, बालोतरा	नगरपालिका क्षेत्र, बालोतरा

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक: सामान्य/II/13/2003/ 1042 दिनांक: 28../08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हते प्रेषित है:-

1. समस्त रजिस्ट्रार, राज़स्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर पीठ, जयपुर, (रजिस्ट्रार सीपीसी, रा.उ.न्या. जयपुर को वास्ते अपलोड करने उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर)
2. संबंधित िजलएवं सेशन न्यायाधीश
3. संबंधित न्यायालय
4. संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
5. प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक, गोपनीय/ रा.न्या.से.(स्था.शाखा)/अधीनस्थ न्यायालय(स्था.शाखा)/ बजट/ भवन/ सांख्यिकी, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

28.8.18
रजिस्ट्रार (नियम)